एग्री मैगज़ीन
(कृषि लेखों के लिए अंतरराष्ट्रीय ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 01 (जनवरी, 2026)
www.agrimagazine.in पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री मैगज़ीन, आई. एस. एस. एन.: 3048-8656

भारत में कृषि-उधमिता विकास के लिए प्रमुख नीतियाँ एवं योजनाएँ

*डॉ. दिनेश कुमार[1], डॉ. रवीन्द्र सिंह शेखावत[2], डॉ. दिव्या अग्रवाल[1], डॉ. राधिका तंवर[1] एवं डॉ. केशव मेहरा[1]
[1]कृषि महाविद्यालय, हिण्डोली-बून्दी, राजस्थान, भारत
[2]भा.कृ.अनु.प.- भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा, भारत
*संवादी लेखक का ईमेल पता: dineshskrau@gmail.com

भारत में कृषि उधमिता विकास को बढ़ावा एवं समर्थन देने के लिए विभिन्न नीतियाँ एवं योजनाएं प्रारंभ की हैं। इन नीतियों का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना, वित्त तक पहुंच में सुधार करना, कृषि पद्धतियों की स्थिरता को बढ़ाना और कृषि व्यवसायों के लिए बाजार संपर्क स्थापित करना है। इनका उद्देश्य कृषि उपज में मूल्यवर्धन करने और समग्र कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने वाले उद्यमों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का उत्थान करना भी है। भारत में कृषि उधमिता विकास के लिए कुछ प्रमुख नीतियाँ एवं योजनाएं इस प्रकार हैं: भारत में कृषि उधमिता में आर्थिक विकास को गति देने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और ग्रामीण आजीविका में सुधार करने की क्षमता है। इस क्षमता को साकार करने के लिए एवं कृषि उधमियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करने हेतु मजबूत और सुनियोजित नीतियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन नीतियों में वित्तपोषण, बाजार पहुंच, अवसंरचना विकास, प्रौद्योगिकी अपनाने और स्थिरता जैसे मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए। भारत में कृषि उधमिता विकास को बढ़ावा देने वाली कुछ प्रमुख नीतियाँ इस प्रकार हैं:

1. वित्त और ऋण तक पहुंच

अ. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: मुद्रा योजना कृषि सहित छोटे व्यवसायों और उधमियों को सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान करती है। इस नीति का उद्देश्य कृषि उधमियों, विशेष रूप से स्टार्टअप या लघु उद्यमों के लिए किफायती ऋण प्राप्त करना एवं इसे आसान बनाना है।

ब. स्टैंड-अप इंडिया योजना: स्टैंड-अप इंडिया योजना कृषि क्षेत्र सहित महिला, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधमियों को ऋण प्रदान करती है। यह योजना हाशिए पर पड़े और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए वित्तीय पहुंच को बढ़ावा देती है, जिससे कृषि-उद्यमिता में समावेशिता को बल मिलता है।

स. किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना: किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों और कृषि उधमियों को विभिन्न कृषि कार्यों में सहायता के लिए कार्यशील पूंजी प्रदान करती है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि उधमियों को अनुकूल पुनर्भुगतान शर्तों के साथ ऋण आसानी से उपलब्ध हो, जिससे उन्हें नकदी प्रवाह प्रबंधित करने, उपकरण खरीदने या नयें कृषि उधमो में निवेश करने में सहायता मिलती है।

द. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड): नाबार्ड अनुदान, सब्सिडी और कम ब्याज वाले ऋणों के माध्यम से कृषि उधमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ-साथ ग्रामीण विकास और कृषि नवाचार पर बैंक का ध्यान कृषि व्यवसाय उधमो, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में निवेश को प्रोत्साहित करता है।

2. नवाचार और प्रोधोगिकी अपनाने के लिए नीतिगत समर्थन

अ. राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रोधोगिकी मिशन (एन.एम.ए.टी.): एनएमएईटी किसानों और कृषि उधमो के बीच आधुनिक कृषि उधमो और पद्धतियों को अपनाने में सहयोग करता है। विस्तार सेवाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, इस मिशन का उद्देश्य

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, स्थिरता और व्यावसायिक मॉडलों में सुधार करना है।

ब. अटल इनोवेशन मिशन (ए.आई.एम.): एआईएम कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उधमिता को बढ़ावा देता है। यह मिशन स्टार्टअप इनक्यूबेटर, एक्सेलेरेटर और अनुसंधान पहलों को वित्त पोषित करता है जो कृषि उधमियों को उन्नत प्रोधोगिकीयों तक पहुंच बनाने, कृषि प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करने और अपने व्यवसायों को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

स. कृषि-प्रौद्योगिकी नीतियां: कृषि-तकनीक स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलों का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्यों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना है। इसमें सटीक खेती, स्मार्ट सिंचाई, ड्रोन तकनीक और डेटा-आधारित समाधान शामिल हैं। डिजिटल बुनियादी ढांचे और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर सरकार का ध्यान कृषि व्यवसायों को उत्पादकता और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का लाभ उठाने में भी मदद करता है।

3. बाजार संबंध और व्यापार नीतियां

अ. ई- नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार): ई- नाम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भारत भर के किसानों और कृषि उधमियों को खरीदारों और व्यापारियों से जोड़ता है। यह नीति बिचौलियों की भूमिका को कम करती है और यह पारदर्शिता और वास्तविक समय के मूल्य निर्धारण डेटा को सुनिश्चित करके उधमियों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर कीमतें प्राप्त करने में मदद करता है।

ब. कृषि-निर्यात नीति (2018): कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करके, रसद व्यवस्था में सुधार करके और कृषि उधमियों के लिए बाजार संपर्क को सुगम बनाकर भारत से कृषि निर्यात को बढ़ावा देना है। इस पहल के अंतर्गत नीतियां कृषि उधमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पैठ बनाने में मदद करने के लिए सब्सिडी, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

स. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.): एम.एस.पी. प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, विशेषकर आवश्यक फसलों के लिए। आधारभूत मूल्य की गारंटी देकर, सरकार कृषि बाज़ारों में उतार-चढ़ाव के कारण कृषि उद्यमियों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों को कम करने में मदद करती है, जिससे व्यावसायिक गतिविधियों में विश्वास बढ़ता है।

4. बुनियादी ढांचे का विकास

अ. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई): पी.एम.जी.एस.वाई. ग्रामीण सड़क अवसंरचना के विकास पर केंद्रित है, जिससे कृषि बाजारों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होती है। इससे कृषि उद्यमियों को परिवहन लागत कम करने, बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने और खाद्य सामग्री को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलती है।

ब. शीत भंडारण एवं भंडारण अवसंरचना: खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एफ.पी.) जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार की नीतियां कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक भंडारण सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा दे रही हैं। ये सुविधाएं फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में सहायक होती हैं, विशेष रूप से नाशवान वस्तुओं के मामले में, जिससे कृषि उद्यमियों को अपने उत्पादों को बिक्री या प्रसंस्करण के लिए तैयार होने तक सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने में मदद मिलती है।

स. ग्रामीण विद्युतीकरण और डिजिटल अवसंरचना: दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.जी.जे.वाई.) जैसी पहलों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करना है, जिससे कृषि उद्यमियों को खेती, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए निरंतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। भारत नेट कार्यक्रम का लक्ष्य भी उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे कृषि उद्यमियों को विपणन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में मदद मिल सके।

5. कौशल विकास और क्षमता निर्माण

अ. कौशल भारत मिशन: स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र सहित ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करना है। आधुनिक कृषि तकनीक, कृषि व्यवसाय प्रबंधन और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रदान करके, यह मिशन कृषि उद्यमियों को सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरण उपलब्ध कराता है।

ब. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.): पीएमकेवीवाई कृषि और कृषि-प्रसंस्करण से संबंधित विशिष्ट कौशलों सहित कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। यह युवाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को कृषि उद्यमशीलता या खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण खुदरा व्यापार और कृषि-तकनीक जैसे संबंधित क्षेत्रों में संलग्न होने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने में सहायता करता है।

स. कृषि विस्तार सेवाएँ: सरकार, विश्वविद्यालयों और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली विस्तार सेवाएं कृषि, विपणन, कीट नियंत्रण और मृदा प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर महत्वपूर्ण ज्ञान और सलाह प्रदान करती हैं। ये सेवाएं किसानों और उद्यमियों को कृषि में नवाचारों और टिकाऊ प्रथाओं के बारे में जानकारी रखने में मदद करती हैं।

6. सतत विकास और पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं

अ. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.): पीएमएफबीवाई कृषि उधमियों को फसल बीमा प्रदान करता है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इससे जोखिम कम करने और कृषि व्यवसायों की स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, साथ ही इस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।

ब. जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति: राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति कृषि में नवीकरणीय जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देती है। कृषि अपशिष्ट को जैव ईंधन में परिवर्तित करने वाली नीतियां कृषि उद्यमियों के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों और टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन में नए अवसर खोलती हैं।

स. जैविक खेती और शून्य-बजट प्राकृतिक खेती (जेडबीएनएफ): सरकार जैविक खेती और जीबीएनएफ को बढ़ावा दे रही है, जिससे कृषि उद्यमियों को पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। सब्सिडी, प्रमाणन सहायता और बाजार संपर्क जैसी नीतियां उद्यमियों को जैविक खेती की ओर बढ़ने और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की बढ़ती उपभोक्ता मांग को पूरा करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं।

7. जोखिम प्रबंधन और आपदा राहत

अ. फसल बीमा और जोखिम न्यूनीकरण योजनाएँ: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और अन्य आपदा राहत नीतियां फसल खराब होने, प्राकृतिक आपदाओं या बाजार में उतार-चढ़ाव के समय किसानों और कृषि उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। ये योजनाएं उद्यमियों को जोखिमों का प्रबंधन करने और महत्वपूर्ण बाधाओं के बिना अपने व्यवसाय संचालन को जारी रखने में मदद करती हैं।

ब. जलवायु-अनुकूल कृषि नीतियां: जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने वाली नीतियां जल-बचत तकनीकों, सूखा-प्रतिरोधी फसलों और कुशल सिंचाई प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीलापन बढ़ाने पर केंद्रित हैं। ये नीतियां कृषि उद्यमियों को टिकाऊ पद्धतियों को अपनाने में भी मदद करती हैं, जिससे दीर्घकालिक रूप से उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार हो सकता है।

8. उधमी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना

अ. स्टार्टअप इंडिया: स्टार्टअप इंडिया पहल कृषि-तकनीक स्टार्टअप्स के लिए कर छूट, आसान पंजीकरण प्रक्रिया और वित्तपोषण के अवसरों सहित कई प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह नीति एक उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर और नए कृषि-व्यापार मॉडल के विकास को प्रोत्साहित करके कृषि उद्यमियों को नवाचार के क्षेत्र में मदद करती है।

ब. कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर: कृषि केंद्रित इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर का समर्थन करने वाले कार्यक्रम कृषि उद्यमियों को मेंटरशिप, फंडिंग और नेटवर्किंग जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। नए अवसरों और नई तकनीकों तक पहुंच प्रदान करने वाले ये इनक्यूबेटर कृषि क्षेत्र में नवीन विचारों को बड़े पैमाने पर सफल व्यवसायों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष

भारत में कृषि- उधमिता की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को साकार करने के लिए एक मजबूत और सहायक नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है। वित्तीय सहायता, अवसंरचना विकास, बाजार तक पहुंच, प्रौद्योगिकी को अपनाना और कौशल विकास का संयोजन टिकाऊ और लाभदायक कृषि-व्यापार उधमियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। मुद्रा योजना, ई- नाम, पीएमएफबीवाई और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से, भारत सरकार ने एक जीवंत कृषि- उधमिता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए मंच तैयार किया है जो कृषि परिवर्तन, आर्थिक विकास और ग्रामीण समृद्धि को गति प्रदान कर सकता है।